न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 82/2025(GCMS 2025/361)
(RTI No. 212322453599967)

नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह वार्ड नं. 24 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
मोबाईल नम्बर : 88750–89977

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2025 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. रायसिंहनगर के वार्ड संख्या 30 में न्यायालय भवन बनाने के लिए कनक निर्माण कम्पनी के जी–शिड्यूल माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रति।
2. न्यायिक भवन के लिए बेसमैंट (अंडर ग्राउण्ड) व जी+3 मंजिल के निर्माण की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति दी जावे।
3. निर्माणाधीन स्थल में बनी हुई सड़क आम को बन्द करके सड़क पर निर्माण करने का आदेश व सार्वजनिक सड़क के भाग पर निर्माण स्वीकृति का दस्तावेज चाहा है।
4. राजस्व विभाग की जगह पर न्यायालय भवन निर्माण करने के लिए भू–परिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति दी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सू.का.अ./2025/661 दिनांक 24.10.2025 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2025/423 दिनांक 19.09.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 82 / 2025
(GCMS No. 2025/361)

क्र.सं.	विषय	सूचना
1	रायसिंहनगर के वार्ड संख्या 30 में न्यायालय भवन बनाने के लिए कनक निर्माण कम्पनी के जी–शिड्यूल माप पुस्तिका की प्रमाणित प्रति।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
2	न्यायिक भवन के लिए बेसमैंट (अंडर ग्राउण्ड) व जी+3 मंजिल के निर्माण की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति दी जावे।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
3	निर्माणाधीन स्थल में बनी हुई सडक आम को बन्द करके सडक पर निर्माण करने का आदेश व सार्वजनिक सडक के भाग पर निर्माण स्वीकृति का दस्तावेज चाहा है।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।
4	राजस्व विभाग की जगह पर न्यायालय भवन निर्माण करने के लिए भू–परिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति दी जावे।	सूचना कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से संबंधित है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के [illegible] करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण [illegible] करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी,** रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 82 / 2025
(GCMS No. 2025/361)

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested